

## सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला गोपनीय शाखा)

पत्रांक दिनांक	3442 /सी 27 अक्टूबर, 2016	फोन नं०-06152-240001, 240002 फैक्स नं०-06152-240006 ई-मेल- dm-saran.bih@nic.in
-------------------	------------------------------	--

### संयुक्त आदेश

इस वर्ष लोक आस्था का महान पर्व छठ दिनांक 6.11.16 एवं 7.11.16 को मनाया जायेगा। इस पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्न तालाबों और पवित्र नदियों के किनारे एकत्रित हो कर अस्ताचलगामी और उदयमान भगवान भास्कर की पूजा अर्चना कर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। ऐसा पाया जाता है कि इस अवसर पर काफी संख्या में लोग नदी में प्रचार-प्रसार करने मनोरंजन के उद्देश्य से नाव पर चलते हैं और आतिशबाजी करते हैं जिससे जहां एक ओर छठ व्रतियों को असुविधा होती है वहीं दूसरी ओर विधि व्यवस्था संधारण में भी कठिनाई होती है।

ऐसा भी देखा गया गया है कि नाविकों के द्वारा अधिक फायदा प्राप्त करने के उद्देश्य से नाव की क्षमता से अधिक लोगों को बैठाकर नदी में फेरी लगायी जाती है जिससे नाव अनियंत्रित होने से उसके डूबने की संभावना बनी रहती है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के निमित्त निम्नवत् आदेश दिए जाते हैं:-

1- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद एवं नगर पंचायत अपने क्षेत्र में अवस्थित छठ घाटों की समय पूर्व साफ सफाई करवाना सुनिश्चित करेंगे।

2- सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष के साथ बैठक कर छठ व्रतियों द्वारा अर्घ्य देने के स्थान को चिन्हित कर पर्याप्त संख्या में पालीवार दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी एवं बल की प्रतिनियुक्त सुनिश्चित करेंगे। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अर्घ्य दिए जाने वाले स्थलों पर दिनांक 6.11.2016 को 12.30 बजे अपराहन में अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे एवं दिनांक 7.11.2016 के मध्याह्न तक प्रतिनियुक्त रहेंगे। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी के लिए अर्घ्य दिए जाने स्थल पर अस्थायी शिविर/ कुर्सी / लाउड स्पीकर आदि की व्यवस्था संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

3- प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी अर्घ्य दिए जाने वाले स्थलों पर लगातार भ्रमणशील रहकर विधि-व्यवस्था का संधारण सुनिश्चित करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि घाट पर जहाँ व्रतियों द्वारा पूजा की जाती है उसके आस-पास आतिशबाजी नहीं हो। इस बारे में पूजा के आयोजकों को समय पूर्व भली-भांति अवगत करा दिया जाय।

4- नदियों/ पोखर/ तालाब में कहीं-कहीं गहराई अधिक होने के कारण दुर्घटना की संभावना होती है। अतएव संबंधित अंचल अधिकारी समय पूर्व ऐसे खतरनाक स्थलों को चिन्हित करते हुए आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग करवा कर बल्ले को रंगवाते हुए उस पर लाल झण्डी लगा देंगे। वहां प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी सुरक्षित क्षेत्र में ही अर्घ्य देने की सूचना लाउड स्पीकर के माध्यम से देते रहेंगे। कटाव के कारण खतरनाक घाटों को पूर्व से ही चिन्हित कर लिया जाय और उन पर जाने का मार्ग निषिद्ध कर दिया जाय ताकि कोई दुर्घटना नहीं होने पाये।

5- छठ व्रतियों द्वारा घाट पर जाने के लिए छोटी एवं भारी वाहनों का उपयोग किया जाता है। ये सभी वाहन प्रायः घाट के आस-पास ही खड़े कर दिये जाते हैं जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है एवं आवागमन में भी कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति से निपटने हेतु सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी घाट के आस-पास स्थल चिह्नित कर पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। व्रतियों द्वारा प्रथम दिन घाट से लौटने के क्रम में देर संध्या हो जाती है तथा दूसरे दिन घाट पर जाने हेतु आवागमन प्रायः अर्द्धरात्रि से प्रारम्भ हो जाता है। ऐसी स्थिति में संबंधित थानाध्यक्ष आवागमन के रास्ते में लगातार भ्रमणशील रहेंगे।

6- इस पर्व के अवसर पर पूर्व में लोगों के डूबने की भी घटना प्रकाश में आई है। ऐसी स्थिति में अर्ध्य दिए जाने वाले स्थलों पर तैराकी/ गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति आवश्यक है। सभी अंचल अधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, छपरा एवं परिचारी प्रवर, पुलिस लाईन, छपरा से समन्वय स्थापित कर इस दिशा में कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। इस निमित्त प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा, छपरा एवं परिचारी प्रवर, पुलिस लाईन, छपरा को निदेशित किया जा रहा है।

7- सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी दिनांक 6.11.2016 के अप. 12:30 बजे से दिनांक 7.11.2016 के मध्याह्न तक यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में नावों का परिचालन नहीं हो।

8- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/ नगर पंचायत, सड़कों/ घाटों आदि की सफाई की पर्व के पूर्व कराना सुनिश्चित करेंगे। अर्ध्य दिए जाने वाले स्थलों पर सफाई के साथ-साथ समुचित प्रकाश की व्यवस्था की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

#### जिला नियंत्रण कक्ष:

जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटा सतत कार्यरत रहेगा जिसका दूरभाष संख्या 06152-242444 है। अनुमण्डल पदाधिकारी सोनपुर एवं मढ़ौरा अपन-अपने अनुमण्डल कार्यालय में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित कर पर्याप्त संख्या में दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी/ बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष कक्ष के वरीय प्रभार में श्री सुनील कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, छपरा -9473191269 और श्री मनीष, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर- 9431800075 रहेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, छपरा जिला नियंत्रण कक्ष हेतु पालीवार पदाधिकारी एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी मढ़ौरा एवं सोनपुर अनुमण्डल से भी लगातार सम्पर्क में रहकर प्राप्त सूचनाओं पर नियमानुकूल कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, छपरा नियंत्रण कक्ष में पर्याप्त संख्या में कुर्सी, वाहन, प्रकाश, वीडियोग्राफर सहित पालीवार पदाधिकारी, कर्मियों एवं अनुसेवी की प्रतिनियुक्ति भी सुनिश्चित करेंगे

#### स्वास्थ्य:

असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सारण यह सुनिश्चित करेंगे कि रोस्टर के अनुसार चिकित्सक एवं पारामेडिकल स्टाफ सदर अस्पताल सहित ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केन्द्र/ उपकेन्द्र पर उपस्थित रहें।

#### विद्युत व्यवस्था:

विद्युत कार्यपालक अभियंता छठ पर्व के अवसर पर अनवरत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर विद्युत तार लूज नहीं हों और खम्भे टूटे/ क्षतिग्रस्त नहीं हों ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होने पाये।

**सामान्य:**

1- जिला अग्निशाम पदाधिकारी, सारण एक-एक फायर टेंडर दिनांक 6.11.16 के पूर्वा. से पर्व की समाप्ति तक जिला नियंत्रण कक्ष, अनुमण्डल नियंत्रण कक्ष सोनपुर एवं मढ़ौरा में प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।


2- आयोजकों द्वारा विद्यार्थियों, बीमार व्यक्तियों तथा अन्य सगुदाय के लोगों की भावना का ध्यान दिए बगैर रात-दिन उँचे एवं कर्णभेदी स्वर में लाउडस्पीकर बजाया जाता है और कई बार देर रात्रि तक गीत/ संगीत का प्रसारण किया जाता है जो अवैधानिक है। The Bihar Control of the Use and Play of Loudspeakers Act-1955 की धारा 4 के अंतर्गत अनुमण्डल पदाधिकारी को इसको नियंत्रित करने की शक्तियाँ प्रदत्त है। परन्तु आम तौर पर इन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत सुनिश्चित करेंगे कि रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल नहीं हो या उसकी ध्वनि इतनी धीमी रखी जाए कि आमजन को परेशानी नहीं हो।


3- सभी थाना प्रभारी खैरियत रिपोर्ट वितन्तु/ दूरभाष से जिला नियंत्रण कक्ष को समय पर देना सुनिश्चित करेंगे।

4- इस अवसर पर जितने भी पदाधिकारी/ बल प्रतिनियुक्त हैं, उनके द्वारा किसी प्रकार की ढिलाई यदि बरती जाती है तो कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी। अतः सभी पदाधिकारी अपने अपने कर्तव्य का पालन चुस्ती एवं मुस्तैदी से करेंगे।

5- सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी खैरियत प्रतिवेदन वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, छपरा को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि सतर्कता पूर्वक विधि व्यवस्था संधारण करेंगे जिससे कि छठ पर्व हर्षोल्लास एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो सके।

  
पुलिस अधीक्षक  
सारण, छपरा


  
जिलाधिकारी  
सारण, छपरा


ज्ञापांक 3442 / सी छपरा, दिनांक 27 अक्टूबर, 2016

**प्रतिलिपि:-**

- 1- प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा/ प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, मुजफ्फरपुर/ पुलिस उप महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- पुलिस अधीक्षक(जी) विशेष शाखा, बिहार, पटना।
- 4- सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/ सदर/ सोनपुर एवं मढ़ौरा / विशेष शाखा एवं जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।
- 5- असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- 6- प्रतिलिपि प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन शाखा/ परिचारी प्रवर, पुलिस लाईन, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 7- सभी अंचल अधिकारी/ पुलिस निरीक्षक/ थानाध्यक्ष सारण को सूचनार्थ।
- 8- परिचारी प्रवर/ जिला अग्निशाम पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ।
- 9- कार्यपालक विद्युत अभियंता पूर्वी एवं पश्चिमी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 10- कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद/ एवं सभी नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- 11- प्रतिलिपि जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं जिला की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
पुलिस अधीक्षक  
सारण, छपरा

  
जिलाधिकारी  
सारण, छपरा